नॉज़िक का अधिकारिता सिद्धान्त

नोट:- यह बात ध्यान रखने योग्य है कि जहाँ रॉल्स का न्याय सिद्धान्त सबसे निर्धन और असहाय व्यक्ति को सबसे पहले सहायता पहुँचाने की माँग करता है वहीं नॉज़िक का न्याय सिद्धान्त ऐसे व्यक्ति को उसकी नियति पर छोड़ देता है।

(d) 4 और 1

निम्नलिखित को

केस

केस

D
2
1

नों को सही कालक्रम

केस

10. (d)
20. (c)
30. (d)
40. (c)
50. (a)
60. (d)
70. (a)
80. (a)
90. (d)
100. (b)
110. (c)
120. (b)

चुनाव प्रणाली और हित
(Electoral System and Interest G

चुनाव प्रणाली
(Electoral System)

किसी भी लोकतान्त्रिक राष्ट्र में निर्वाचन एक अपरिहार्य प्रक्रिया है। चुनाव ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और किसी हद तक उन पर नियन्त्रण भी रखती है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने **इन्दिरा गाँधी बनाम राजनारायण** (1975) वाद में 'स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव' को संविधान के आधारभूत ढाँचे का आवश्यक तत्त्व बताया। भारतीय संविधान के भाग-XV में अनुच्छेद 324-329 तक निर्वाचन सम्बन्धी प्रावधान किए हैं।

भाग -15 [निर्वाचन]

अनुच्छेद 324	निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना
अनुच्छेद 325	धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना।
अनुच्छेद 326	लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना।
अनुच्छेद 327	विधानमण्डलों के लिए निर्वाचनों के सम्बन्ध में उपबन्ध करने की संसद की शक्ति।
अनुच्छेद 328	किसी राज्य के विधानमण्डल के लिए निर्वाचनों के सम्बन्ध में उपबन्ध करने की उस विधानमण्डल की शक्ति।
अनुच्छेद 329	निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन।
अनुच्छेद 329(A)	(प्रधानमन्त्री और अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए निर्वाचनों के बारे में विशेष उपबन्ध) 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 की धारा 36 द्वारा निरसित

देश में
एवं उन
करने
तहत
के रूप
324 में
चुनावों
पदों के
निर्देशन
आयोग

चुनाव आयोग

भारत में स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए स्वायत्त एवं निष्पक्ष चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 324(1) के अनुसार संसद और राज्य विधानमण्डल के निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए, निर्वाचक-नामावली तैयार करने का और निर्वाचनों के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा।

संगठन एवं नियुक्ति

अनुच्छेद 324(2) में उपबन्ध है कि निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा, जितने समय-समय पर राष्ट्रपति नियत करे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार करेगा। पहले निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था, परन्तु वर्ष 1993 से निर्वाचन आयोग तीन-सदस्यीय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त है। तीनों निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियाँ समान है और निर्णय बहुमत से किए जाते है।

पदावधि व हटाने की प्रक्रिया

मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे। परन्तु

- वह राष्ट्रपति को सम्बोधित कर त्यागपत्र दे सकते हैं।
- मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की रीति से हटाया जा सकता है।
- अन्य चुनाव आयुक्तों व प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश से ही हटाया जा सकता है।

निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ

चुनाव आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ वृहद् है, आम चुनावों के दौरान समस्त प्रशासन चुनाव आयोग के निर्देशन में कार्य करता है। *निर्वाचन आयोग के कार्य व शक्तियों के तीन क्षेत्र हैं*

- प्रशासनिक, • परामर्शदात्री • अर्द्ध-न्यायिक।

चुनाव आयोग के कार्य एवं शक्तियों का विस्तृत वर्णन है

- संसद राज्य विधानमण्डल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन, नियन्त्रण एवं निर्देशन करना।
- मतदाता सूचियाँ तैयार करना।
- विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना।
- राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव-चिह्न प्रदान करना।
- चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन या सीमांकन में परिसीमन आयोग की सहायता करना।
- अर्द्ध-न्यायिक कार्य, जैसे-अनुच्छेद 103 के अन्तर्गत राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की आयोग्यताओं के सम्बन्ध में चुनाव आयोग से परामर्श करता है तथा अनुच्छेद 192 के अन्तर्गत राज्यपाल राज्य विधानमण्डलों के सदस्यों की अयोग्यताओं के सम्बन्ध में चुनाव आयोग से परामर्श करता है।
- राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना।
- राजनीतिक दलों को आकाशवाणी पर चुनाव प्रसार की सुविधाएँ दिलवाना।
- उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले कुछ व्यय की राशि पर्यवेक्षकों के माध्यम से जाँच करना है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 संशोधन 1996 के तहत पर्यवेक्षक सीधे भारत निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट देते हैं।
- मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना।
- राष्ट्रपति को प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए परामर्श देना।
- सरकार को अपने कार्यों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देना।
- चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव देना।
- राष्ट्रपति द्वारा चुनाव अधिसूचना के बाद चुनाव आयोग मतदान की तिथियों की घोषणा करता है। इस घोषणा में नामजदगी, पत्रों की जाँच की तिथि, चुनाव संघर्ष के नाम वापस लेने की तिथि का उल्लेख होता है।
- चुनाव आयोग, हिंसा, बूथ कैप्चरिंग आदि की स्थिति में चुनाव रद्द कर सकता है।

चुनाव आयोग की भूमिका

निर्वाचन आयोग ने भारत में स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनावों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए है। वर्ष 1999 में 13वीं लोकसभा के चुनावों के दौरान कार्यकारी सरकार को वास्तविक या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से रोका। इसके पश्चात् बाल ठाकरे को साम्प्रदायिक भाषण देने के कारण छः वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर चुनाव के दौरान धर्म, जाति के प्रभाव को रोकने का प्रयास किया। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया का आधुनिकीकरण करने के लिए एक ओर फोटो पहचान-पत्र लागू किए तो दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लागू किया।

निर्वाचन आयोग ने जम्मू-कश्मीर में निष्पक्ष निर्वाचन कराए जिसकी प्रशंसा विदेशी पर्यवेक्षकों ने भी की। इसी कारण प्रमुख निर्वाचन आयुक्त को एशियाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2003 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ चुनाव आचार संहिता के दौरान अधिकारियों के हस्तान्तरण पर रोक लगाई। यहाँ तक राजस्थान में थानाध्यक्ष के हस्तान्तरण करने पर सरकार को फटकार लगाई। वर्ष वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश व बिहार विधानसभा के चुनावों में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग ने केन्द्रीय पर्यवेक्षकों व केन्द्रीय पुलिस बल का प्रयोग किया, जिसके कारण इन राज्यों में बूथ कैप्चरिंग व धाँधली नहीं हो पाई और जनता ने निडर मतदान किया।

चुनाव आयोग ने निष्पक्ष व क्रियाशील भूमिका केवल भारत में ही नहीं अपितु भूटान, अफगानिस्तान जैसे देशों में भी अदा की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्वाचन आयोग ने स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाकर भारत में लोकतन्त्र की रक्षा की।

परन्तु निर्वाचन आयोग के पास सबसे बड़ी समस्या है अपनी चुनाव मशीनरी न होना। यदि चुनाव आयोग को अधिक शक्तिशाली बनाया जाए तो भारत विश्व के लिए 'आदर्श लोकतन्त्र' का रूप ले सकता है।

निर्वाचन सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान

संविधान के भाग-XV में अनुच्छेद 324-329 तक संवैधानिक प्रावधान है। *निर्वाचन सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानों का विस्तार से वर्णन इस प्रकार है*

- अनुच्छेद 324 में 'निर्वाचन आयोग' सम्बन्धी उपबन्ध है।
- अनुच्छेद 325 के अनुसार निर्वाचक नामावली/मतदाता सूची में किसी व्यक्ति को सम्मिलित करने के लिए धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा।
- अनुच्छेद 326 में उपबन्ध है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होंगे। 61वें संशोधन अधिनियम (1988) में वयस्कता की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की गई।
- अनुच्छेद 327 के अनुसार संसद समय-समय पर, विधि द्वारा, संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमण्डल के सदन के लिए निर्वाचन सम्बन्धी कानून बनाएगी।
- अनुच्छेद 328 यदि संसद राज्य विधानमण्डल के बारे में कानून नहीं बनाती है तो राज्य विधानमण्डल अपने सदन के निर्वाचन सम्बन्धी कानून बना सकती है।

नॉजिक का न्याय का सिद्धान्त

→ इन्होंने एनार्की स्टेट एण्ड यूटोपिया (अराजकता, राज्य और कल्पना लोक – 1974) के अन्तर्गत न्याय के दो तरह के सिद्धान्तों में अन्तर किया है।

— एक तरफ न्याय का ऐतिहासिक सिद्धान्त है

— दूसरी तरफ साध्यमूलक सिद्धान्त।

ऐतिहासिक सिद्धान्तों के अन्तर्गत नॉजिक का कहना था कि लोगों की अतीत की परिस्थितियों और अतीत के कार्यों के आधार पर उनके वर्तमान अधिकार भिन्न-२ हो सकते हैं।

साध्यमूलक सिद्धान्तों के अनुसार लोगों के अधिकार किन्हीं विशेष लक्ष्यों की पूर्ति के उद्देश्यों से निर्धारित करने चाहिए।

उदाहरणार्थ, उपयोगितावाद एक साध्यमूलक सिद्धान्त है, जो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लक्ष्य को अधिकारों का उपयुक्त आधार मानता है। नॉजिक ने इस सिद्धान्त की तीव्र आलोचना की है।

| नॉजिक का न्याय का सिद्धान्त |

नॉजिक ने न्याय के ऐतिहासिक सिद्धान्तों को अपने तर्क का प्रारम्भिक बिन्दु स्वीकार किया है। उनके अनुसार यदि वैयक्तिक सम्पत्ति की वर्तमान व्यवस्था अतीत के उचित अधिग्रहण या हस्तान्तरण का परिणाम है अर्थात् इसमें छल या बल का प्रयोग नहीं हुआ है तो उसे न्यायपूर्ण मान लेना चाहिए।

परन्तु यदि अतीत में सम्पत्ति के अनुचित अधिग्रहण के कारण कोई अन्याय हुआ है तो उसका परिमार्जन उचित होगा। इस प्रक्रिया को नॉजिक ने परिमार्जन का सिद्धान्त कहा है।

नॉजिक ने अपने सिद्धान्त को न्याय का पात्रता सिद्धान्त भी कहा है। इसमें वह यह मानकर चलते हैं कि प्रचलित व्यवस्था के अन्तर्गत जो व्यक्ति जिस वस्तु का अधिकारी है उसे उसकी सहमति के बिना किसी दूसरे को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता।

नॉज़िक का न्याय का सिद्धान्त

नॉज़िक का मानना था कि समाज में उत्पादन के स्तर पर जो असमानताएं पाई जाती हैं, उन्हें वितरण के स्तर पर बदलने का प्रयास विनाशकारी होगा।

संक्षेप में नॉज़िक का अधिकारिता का सिद्धान्त मोटे तौर पर तीन प्रकार के सिद्धान्त तत्वों को मान्यता देता है —

1. न्यायपूर्ण हस्तान्तरण का सिद्धान्त
2. मूलतः न्यायपूर्ण अधिग्रहण का सिद्धान्त
3. अन्याय के परिष्कार का सिद्धान्त।

नॉजिक का अधिकारिता सिद्धान्त

नॉजिक का अधिकारिता सिद्धान्त तीन प्रकार के सिद्धान्त तत्वों को मान्यता प्रदान करता है —

(A.) न्यायपूर्ण हस्तान्तरण का सिद्धान्त

इसका अर्थ है कि न्यायपूर्ण तरीके से जिस वस्तु का अभिग्रहण किया गया हो उसे स्वतन्त्रतापूर्वक हस्तान्तरित किया जा सकता है।

(B.) मूलतः न्यायपूर्ण अभिग्रहण का सिद्धान्त

इससे अभिप्राय है कि कोई व्यक्ति जिस वस्तु का स्वामी है उसे यदि उसने न्यायपूर्ण तरीके से प्राप्त किया हो तभी उसे वह स्वेच्छापूर्वक हस्तान्तरित करने का अधिकारी माना जाएगा।

(C.) अन्याय के परिष्कार का सिद्धान्त

इसका अर्थ है कि यदि कहीं अन्यायपूर्ण तरीके से किसी वस्तु का अभिग्रहण या हस्तान्तरण किया गया हो तो ऐसी स्थिति का प्रतिकार करना चाहिए।

निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप के वर्णन सम्बन्धी प्रावधान अनुच्छेद 329 में है। इसके तहत निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन व आवंटन सम्बन्धित मामलों को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। केवल संसद एवं विधानमण्डल सदस्यों के चुनाव को उच्च न्यायालय में प्रश्नगत किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

नाम	पदावधि	
सुकुमार सेन	21 मार्च, 1950	19 दिसम्बर, 1958
के वी के सुन्दरम	20 दिसम्बर, 1958	30 सितम्बर, 1967
एस पी सेन वर्मा	1 अक्टूबर, 1967	20 सितम्बर, 1972
नगेन्द्र सिंह	1 अक्टूबर, 1972	6 फरवरी, 1973
टी स्वामीनाथन	7 फरवरी, 1973	17 जून, 1977
एस एल शकधर	18 जून, 1977	17 जून, 1982
आर के त्रिवेदी	18 जून, 1982	31 दिसम्बर, 1985
आर वी एस पेरिशास्त्री	1 जनवरी, 1986	25 नवम्बर, 1990
श्रीमती वी एस रमादेवी	26 नवम्बर, 1990	11 दिसम्बर, 1990
टी एन शेषन	12 दिसम्बर, 1990	11 नवम्बर, 1996
एम एस गिल	12 दिसम्बर, 1996	13 जून, 2001
जे एम लिंगदोह	14 जून, 2001	7 फरवरी, 2004
टी एस कृष्णामूर्ति	8 फरवरी, 2004	15 मई, 2005
बी बी टण्डन	16 मई, 2005	29 जून, 2006
एन गोपालस्वामी	30 जून, 2006	20 अप्रैल, 2009
नवीन चावला	21 अप्रैल, 2009	29 जुलाई, 2010
एस वाई कुरैशी	30 जुलाई, 2010	10 जून, 2012
वी एस सम्पत	11 जून, 2012	अभी तक

भारत में चुनाव सम्बन्धी समस्याएँ

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है जिसमें 62 करोड़ से भी अधिक मतदाता हैं। यद्यपि भारत में निर्वाचन आयोग ने 15 लोकसभा चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन किया इसके बावजूद भारतीय लोकतन्त्र में अनेक चुनाव सम्बन्धी कमियाँ या समस्याएँ बनी हैं। जो इस प्रकार हैं

अप्रतिनिधित्यात्मक

भारतीय निर्वाचन व्यवस्था में एक मुख्य कमी है कि बहुमत मतदान या 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' व्यवस्था में प्राप्त मतों की संख्या तथा जीती गई सीटों की संख्या में कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। अधिकतर चुनावी परिणाम यह दर्शाते हैं कि चुनाव में वोट का प्रतिशत एवं जीती गई सीटों की संख्या में असन्तुलन होता है। ऐसा भी देखा गया है कि बहुमत प्राप्त दल को 50% मत नहीं प्राप्त होते हैं। इस व्यवस्था में 50% से कम मत प्राप्त व्यक्ति ही विजयी घोषित हो जाता है। यदि उम्मीदवारों की संख्या अधिक है तो यह प्रतिशत बहुत कम हो सकता है।

दलों एवं प्रत्याशियों की बहुलता

वर्तमान में देश में लगभग 700 से ज्यादा राजनीतिक दल हैं। दलों की बहुतायत न सिर्फ मतदाताओं में भ्रम पैदा करती है बल्कि चुनाव में उम्मीदवारों की अत्यधिक संख्या प्रशासनिक समस्याएँ भी उत्पन्न करती है। स्वतन्त्र उम्मीदवारों की अधिक संख्या इस समस्या को और बढ़ा देती है।

ऐसे सिद्धान्तविहीन व्यक्ति आधारित दल एवं स्वतन्त्र उम्मीदवार चुनाव के बाद के परिदृश्य में अवसरवादी गठबन्धन एवं अस्थिर सरकार की समस्या उत्पन्न करते हैं।

बढ़ते खर्च एवं धन का प्रभाव

भारत में चुनाव लड़ने वाले तथा इसे सम्पन्न कराने वाले, दोनों के लिए यह यह खर्चीली व्यवस्था है। 13वें आम चुनाव में सरकार को सिर्फ सराहनीय चुनाव में ₹ 850 करोड़ खर्च करने पड़े। अस्थिर सरकारों के कारण होने वाले बार-बार चुनावों ने इस समस्या को और गम्भीर बना दिया।

इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों का चुनावी खर्च लगातार बढ़ रहा है। वैसे तो कानून द्वारा लोकसभा चुनाव में 25 लाख, विधानसभा चुनावों में 10-15 लाख सीमा निर्धारित है, परन्तु कानून प्रभावी न होने के कारण एक उम्मीदवार का खर्च करोड़ पर पहुँच जाता है। यह बढ़ता खर्च अनैतिकता, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। ऐसी स्थिति में ईमानदार व कुशल उम्मीदवार द्वारा चुनाव लड़ना मुश्किल हो गया है। इसके साथ भारी खर्च करके जब उम्मीदवार को सत्ता प्राप्त होती है तो वह चुनाव में खर्च किए गए धन की उगाही सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग, रिश्वत एवं घोटालों से करता है।

चुनावी मशीनरी व अधिकारियों का दुरुपयोग

सत्ताधारी दल चुनावों में निर्णय अपने पक्ष में करवाने के लिए चुनावी मशीनरी व अधिकारियों का दुरुपयोग करता है। वह अपने कृपापात्र अधिकारियों को नियुक्त कर मतदाता सूची में अवैधानिक हेर-फेर, मतदान केन्द्रों की व्यवस्था में हेर-फेर आदि करवाता है।

हिंसा एवं बाहुबल

चुनावों में जीत को ही अन्तिम लक्ष्य मानने वाले प्रत्याशी धन शक्ति के साथ-साथ बाहुबल की शक्ति का भी दुरुपयोग करने में नहीं हिचकिचाते। बाहुबल का अर्थ अपराधियों की सहायता लेना, हिंसा एवं बल का प्रयोग करना, मतदाताओं को उम्मीदवार विशेष के पक्ष में मत देने के लिए बाध्य करना, मतदान केन्द्रों पर कब्जा करना। यह घटनाएँ चुनावों के साथ सामान्य सी बन गई हैं।

राजनीति का अपराधीकरण

चुनाव में बाहुबल की शक्ति के प्रयोग का सबसे महत्त्वपूर्ण परिणाम य[illegible] हुआ है कि स्थानीय बाहुबली एवं अपराधियों का, जिनका प्रयोग नेता साधन [illegible] रूप में करते थे, अब वे सीधा राजनीति में भाग लेने लगे हैं। पूर्व निर्वा[illegible] आयुक्त बी वी कृष्णमूर्ति ने वर्ष 1996 के लोकसभा उम्मीदवारों का उदाह[illegible] नमूने में बताया कि 13,952 उम्मीदवारों में से 1500 आपराधिक पृष्ठभूमि[illegible] है। जनवरी, 2001 को निर्वाचन आयोग की स्वर्ण जयन्ती के अवसर [illegible] राष्ट्रपति के आर नारायणन ने भी अपने भाषण में कहा कि संसद व विधान[illegible] में अनेक नेता आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के [illegible] रामविलास पासवान से जब अपराधियों को टिकट देने के बारे में पूछा ग[illegible] उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम 'शेर के सामने बकरी' को नहीं उतार सकते [illegible]

चुनावों में जाति एवं धर्म की भूमिका

दत्त आयोग, रघुबीर दयाल आयोग आदि ने स्पष्ट कहा कि ने[illegible] प्राप्ति के लिए साम्प्रदायिकता का सहारा लेते हैं। गुजरात दंगे (2001[illegible] स्पष्ट किया कि नेता राजनीति में धर्म का कार्ड लेते हैं। जाति का [illegible] दौरान प्रयोग तो एक सामान्य घटना है। उपरोक्त समस्याओं ने भारत [illegible] सुधारों को आवश्यक बना दिया है।

भारत में चुनाव सुधार सम्बन्धी प्रयास

भारत में 'स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष' चुनाव कराने और लोकतन्त्र [illegible] रखने के लिए एक ओर विभिन्न समितियों का गठन किया गया [illegible]